मणपिुर में AFSPA को पुनः लागू करना

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

हाल ही में **गृह मंत्रालय (MHA)** ने अस्थरि सुरक्षा स्थतिि तथा हिंसा में वद्रिोही समूहों की सक्रयि भागीदारी के कारण मणपिुर के छह पुलसि थाना क्षेत्रों में **सशस्त्र बल वशिेषाधकिार अधनियिम (AFSPA)** को फरि से लागू कयिा है।

- **मणपिुर में वर्ष 1980 से ही AFSPA** लागू है तथा बदलते सुरक्षा परदिृश्य के आलोक में समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है।

पृष्ठभूमि:

- **15 अगस्त 1942** को ब्रटिशिों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लयि **सशस्त्र बल वशिेषाधकिार अध्यादेश जारी कयिा,** जसिके परणिामस्वरूप वर्ष 1947 में **"असम अशांत क्षेत्रों"** हेतु अध्यादेश जारी कयि गये।
    - **सशस्त्र बल (असम और मणपिुर) वशिेष शक्तयिाँ अधनियिम, 1958** द्वारा **असम अशांत क्षेत्र अधनियिम, 1955** का स्थान लयिा गया, जसि आगे चलकर AFSPA द्वारा प्रतस्थिापति कर दयिा गया।
- अशांत क्षेत्र को AFSPA की **धारा 3 के तहत घोषति** कयिा जाता है।
    - वर्तमान में **नागालैंड, असम, मणपिुर तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हस्सिों में AFSPA** प्रभावी है।
    - **राज्य के राज्यपाल, केंद्रशासति प्रदेश के प्रशासक एवं गृह मंत्रालय** AFSPA के प्रवर्तन को अधसिूचति करने के साथ कसिी भी क्षेत्र को अशांत घोषति कर सकते हैं।
- अशांत क्षेत्र (वशिेष न्यायालय) अधनियिम, 1976 के तहत कसिी क्षेत्र को 'अशांत' घोषति करने पर वह लगातार तीन माह तक अशांत की श्रेणी में बना रहता है।

//

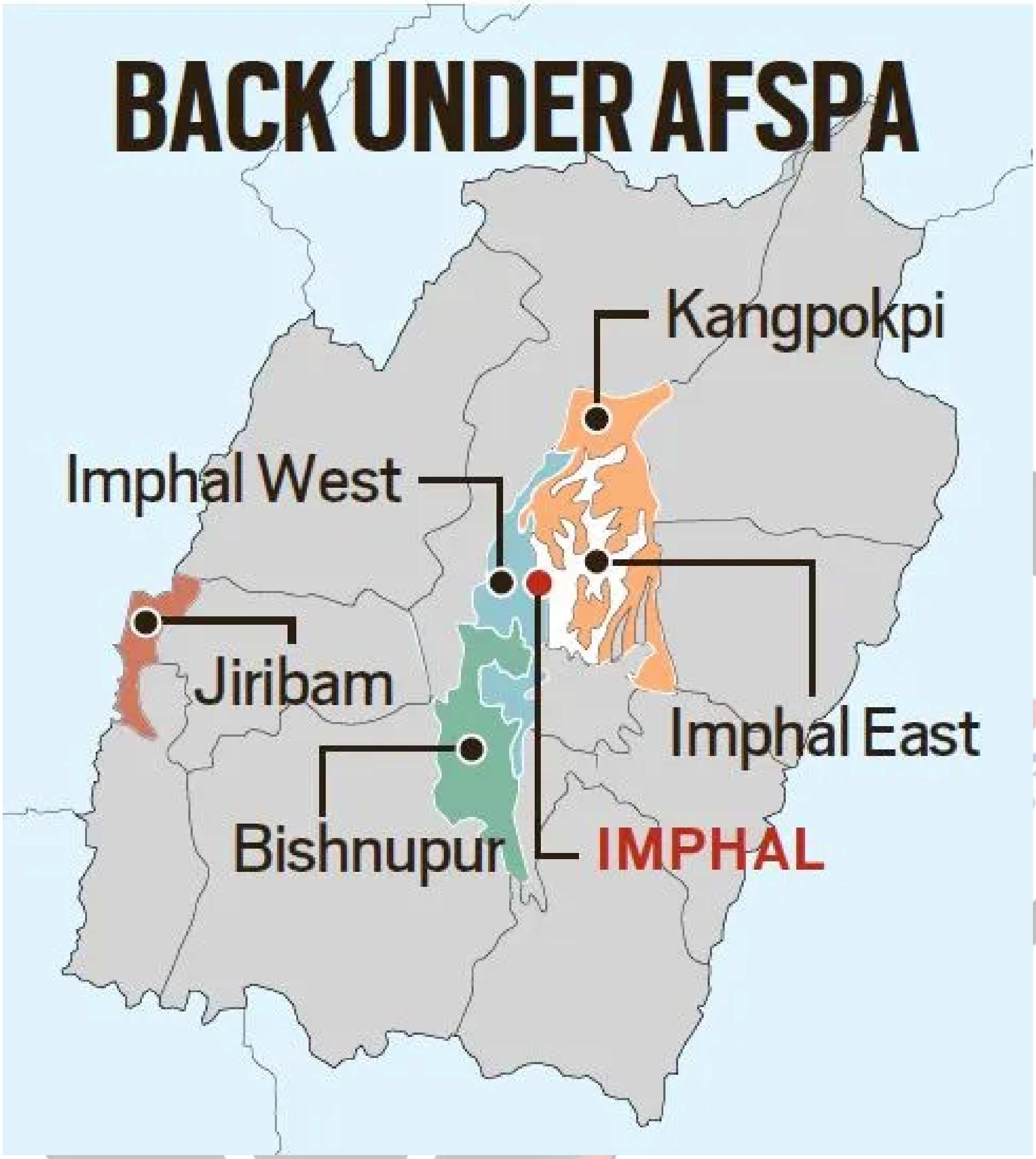

और पढ़ें: [सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (AFSPA)](https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reimposition-of-afspa-in-manipur)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/reimposition-of-afspa-in-manipur